खबरों में रहे स्टॉक

राइट्स

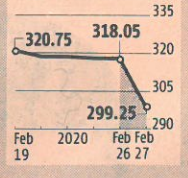

सरकार ओएफएस के जरिये 10 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी

₹ 318.05 पिछला बंद भाव
₹ 299.25 आज का बंद भाव
▼ 5.91 %

सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज

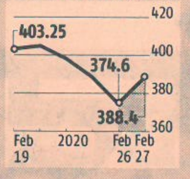

कंपनी ने अमेरिकी बाजार में मधुमेह की दवा पेश की

₹ 374.60 पिछला बंद भाव
₹ 388.40 आज का बंद भाव
▲ 3.68 %

मिश्र धातु निगम

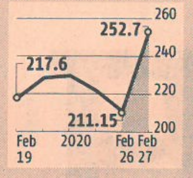

बीएसई-500 सूचकांक में सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयरों में शामिल

₹ 211.15 पिछला बंद भाव
₹ 252.70 आज का बंद भाव
▲ 19.68 %

इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन

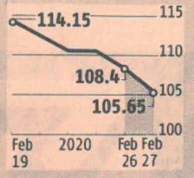

बाजार पूंजीकरण 1 लाख करोड़ रुपये से नीचे फिसला

₹ 108.40 पिछला बंद भाव
₹ 105.65 आज का बंद भाव
▼ 2.54 %

विप्रो

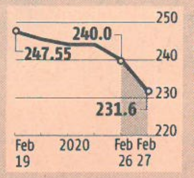

विश्लेषकों को राजस्व वृद्धि की संभावना नहीं दिखने से शेयर में बड़ी गिरावट

₹ 240.00 पिछला बंद भाव
₹ 231.60 आज का बंद भाव
▼ 3.50 %

अपोलो टायर्स घटा रही खर्च

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 27 फरवरी

> कंपनी ने वाहन क्षेत्र में मंदी को देखते हुए वित्त वर्ष 2020 और वित्त वर्ष 2021 में खर्च घटाने पर जोर दिया है

अपोलो टायर्स ने वर्ष 2019-20 में अपने पूंजीगत खर्च में लगभग 300 करोड़ रुपये तक की कमी लाने का निर्णय लिया है। वाहन क्षेत्र में मंदी को देखते हुए कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 में भी पूंजीगत खर्च में इसी तरह की कटौती की योजना बनाई है। प्रस्तावित पूंजीगत खर्च मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में कंपनी के नए संयंत्र और उसकी हंगरी स्थित इकाई में होगा। बुधवार को अपोलो टायर्स ने घोषणा की कि निजी इक्विटी फर्म वारबर्ग पिनकस अपनी सहयोगी एमेराल्ड सेज के जरिये कंपनी में लगभग 1,080 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। कंपनी ने कहा है कि इस रकम का इस्तेमाल कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए किया जाएगा, हालांकि सूत्रों का कहना है कि कुछ हिस्सा प्रस्तावित पूंजीगत खर्च के लिए इस्तेमाल होगा।

शेयरखान बाई बीएनपी पारिबा में वाहन विश्लेषक भारत ज्ञानानी ने कहा कि कोष उगाही से कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत होगी और उसके कर्ज-पूंजी अनुपात में सुधार आएगा। साथ ही वारबर्ग पिनकस के इक्विटी निवेश से व्यवसाय में वृद्धि की संभावना का भरोसा बढ़ा है। वारबर्ग को प्रबंधन बोर्ड में भी जगह मिलेगी जिससे अपोलो टायर्स में बोर्ड एवं प्रशासनिक मजबूत बढ़ेगी। कुल मिलाकर यह कंपनी के लिए सकारात्मक घटनाक्रम है। विश्लेषकों के साथ ताजा बातचीत के दौरान कंपनी के प्रबंधन ने कहा, 'कंपनी ने वर्ष की शुरुआत लगभग 2,700 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च अनुमान के साथ की जिसे घटाकर 2,400 करोड़ रुपये किया गया है। पिछले 9 महीनों के दौरान कंपनी ने लगभग 2,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च किया है।'

भारत को मिलीं यूएसएफडीए की कम चेतावनी

सोहिनी दास
मुंबई, 27 फरवरी

अमेरिकी दवा विनियामक द्वारा भारतीय फार्मा के लिए विनियामकीय जांच कड़ी करना उद्योग के लिए चिंता की बात है। हालांकि दीर्घकालिक आंकड़े बताते हैं कि भारतीय इकाइयों को चीन और अमेरिका की तुलना में अमेरिकी विनियामक से कम संख्या में चेतावनी-पत्र प्राप्त हुए हैं।

वित्त वर्ष 15 से 19 के बीच भारत में स्थित इकाइयों को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) से 66 चेतावनी-पत्र मिले हैं, जबकि चीन में स्थित इकाइयों को 73 चेतावनी-पत्र और अमेरिका की इकाइयों को 97 चेतावनी-पत्र मिले हैं। यूएसएफडीए के अनुपालन कार्यालय के विनिर्माण गुणवत्ता निदेशक फ्रांसिस गॉडविन द्वारा यहां आयोजित एक कार्यक्रम में साझा किए गए आंकड़े बताते हैं कि भारत ने अपने पड़ोसी देश चीन से बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि अमेरिका को फॉर्म्युलेशन और थोक दवा आपूर्ति में उसकी बड़ी हिस्सेदारी रहती है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज और पीडब्ल्यूसी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के खिलाफ कार्रवाई करने से भी नहीं हिचके।

त्यागी के कार्यकाल में सेबी ने कंपनी शासन, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई), भेदिया कारोबार, म्युचुअल फंड और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से जुड़े कई अहम नियमों में बड़े बदलाव किए। इनमें से अधिकांश नियमों के क्रियान्वयन में किसी तरह का व्यवधान भी नहीं देखने को मिला।

हाल ही में त्यागी ने सेबी में अपने कार्यकाल के आकलन के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि यह काफी अच्छा अनुभव रहा। उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि सार्वजनिक विमर्श में यकीन रखने के साथ ही उन्होंने पारदर्शी तरीके से अपना काम करने की कोशिश की।

त्यागी को जानने वाले कहते हैं कि सेबी प्रमुख के तौर पर उन्होंने सही मंशा से काम किया लेकिन प्रमुख हितधारकों के विचारों को जगह देने के लिए उन्हें अक्सर समायोजन भी बिठाना पड़ा। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं: कंपनियों को 24 घंटे के भीतर अपने बैंक ऋण चूक का खुलासा करने के लिए कहने वाले परिपत्र को अंतिम पलों में वापस ले लेना या कंपनियों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक पदों को अलग करने के लिए तय मियाद को आगे बढ़ा देना। त्यागी को बाजार नियामक के तौर पर सेबी की स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सरकार के साथ तनातनी में भी उलझना पड़ा था। आम तौर पर शांत एवं संयत रहने वाले त्यागी गत जुलाई में नॉर्थ ब्लॉक के गलियारे में उत्तेजित नजर आए थे। इसकी वजह यह थी कि कुछ दिनों पहले पेश किए 2019-20 के बजट में सेबी अधिनियम 1992 के संशोधन का प्रावधान रखा गया था ताकि सेबी के तीन-चौथाई सरप्लस फंड को सरकार को हस्तांतरित किया जा सके। त्यागी ने इस कदम का विरोध करते हुए कहा था कि ऐसा करना निवेशकों एवं बाजार दोनों के लिहाज से प्रतिकूल है। इसके पहले भी सरकार के साथ त्यागी का मतभेद इस कदर बढ़ गया था कि आर्थिक मामलों के विभाग के तत्कालीन सचिव सुभाष गर्ग को सेबी बोर्ड से अलग हो गए और उनकी जगह पर एक निचले रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया। उसके बाद से सेबी की अधिकांश समितियों में वित्त मंत्रालय का एक प्रतिनिधि मौजूद है। कुछ लोगों की नजर में यह सेबी के दर्जे को कमजोर करने की कोशिश है।

SUNCITY AVENUE 76

HARYANA RERA REGISTRATION NO. : 78 OF 2019

(AN AFFORDABLE HOUSING PROJECT WITH INTEREST SUBSIDY UPTO RS. 2.67** LAKHS UNDER PMAY)

Sector-76, Gurugram Near Haldiram (NH-8)

Applications are invited from general public for booking of residential apartments in Affordable Housing Project proposed to be developed as per terms and conditions of the policy prescribed by the Town & Country Planning Department, Government of Haryana vide Notification No. PF-27/48921 dated 19.08.2013 & amendment thereof (details available at the department website i.e., www.tcpharyana.gov.in)

PROJECT DETAILS

1. Colonisers/ Developers: Suncity Projects Pvt. Ltd.
2. Project Approvals: License No. 34 of 2018, Building Plan Approved on 30.08.2019 Vide Memo No.ZP-1255/JD(RD)/2019/20894. Haryana RERA Registration No.:78 Of 2019
3. Location: Sector 76, Gurugram, Haryana
4. Provisions Project Area: 1464(Available-866) no. of apartments available in the Housing Scheme spread over 10 acres. As per Policy, 5% of total no. apartments are available for management quota & 95% of total no. apartments are for public.
Community Facilities: One Community Hall of 2000 sq. ft. and One Anganwadi-cum-creche of 2000 Sq. ft.

APARTMENT DETAILS, ALLOTMENT, RATES AND PAYMENT TERMS:

CATEGORY 2BHK	NO.OF UNIT	CARPET AREA SQ. MTR / SQ. FT.	BALCONY AREA SQ.MTR / SQ. FT.	ALLOTMENT RATE OF APARTMENT(INR)	BOOKING AMOUNT 5% APROX(INR)
TYRE-1	394	59.00 / 635.08	9.29 / 100.00	2,590,320	1,19,000
TYRE-2	336	54.10 / 582.33	9.29 / 100.00	2,379,320	1,19,000
TYRE-3	60	57.10 / 621.62	9.29 / 100.00	2,536,480	1,19,000
TYRE-4	56	58.20 / 626.46	9.29 / 100.00	2,555,840	1,19,000
TYRE-5	20	56.85 / 611.93	9.29 / 100.00	2,497,720	1,19,000

Total Apartments 866

Payment Plan

S.N	DESCRIPTION	INSTALLMENTS	S.N	DESCRIPTION	INSTALLMENTS
1.	At the time of application	5% of total sale price	5.	Within 18 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price
2.	Within 15 days of allotment	20% of total sale price	6.	Within 24 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price
3.	Within 6 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price	7.	Within 30 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price
4.	Within 12 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price	8.	Within 36 months from the date of 1st allotment*	12.5% of total sale price

*NOTE:The date of 1st allotment was 24.02.2020

6. Parking: One 2-wheeler parking with each apartment
7. Tentative Specifications: Drawing Room / Lobby Flooring: Tiles / IPS | Drawing Room / Lobby Wall ceiling finish: OBD / Color wash | Bedrooms Flooring: Tiles / IPS Bedrooms wall ceiling finish: OBD / Color wash | Toilets Walls finish: Tiles upto 4 feet and OBD/ color Wash in balance area | Toilets Flooring: Tiles / IPS | Kitchen Flooring: Tiles / IPS | Kitchen Wall finish: Tiles upto 2 feet high above stone/ Tile counter and OBD / Color wash in balance area. | Fixture & fittings: Single bowl Steel Sink & CP / PVC / PTMT fittings | Balcony Flooring: Tiles / IPS | Window: MS Z-section & Glass/ Alu steel& Glass | Door Frame / Doors: MS/ Fiber Door frames with Flush Door/ Skin Door/ Fiber Door | Common Area flooring: Stone / Tiles/ IPS | Lift Lobby: Stone / Tiles/ IPS | Chinaware: Standard Fittings | Electrical: ISI marked products for wiring, switches and circuits | Security: Gated complex
8. Applications Timelines
(i) Booking open from: 28.02.2020
(ii) Last Date of submission of Applications: 13.03.2020
(iii) Applications form can be procured & submitted at: (A) SUNCITY PROJECTS PVT. LTD. Corp.Office-218-224,2nd Floor, Suncity Business Tower, Sector-54, Golf Course Road, Gurugram (B) As per policy dated: 18.02.2020, application form can also be procrued from office of Senior Town Planner, Gurugram Circle, Office at 3rd Floor, HUDA Office Complex, Sector -14, Gurugram. For more information, call 706170 0000

Eligibility
1. The applicant should not be debarred from entering into legally binding contract under any prevailing law.
2. Any person can apply, however, the PMAY beneficiaries which include their spouse dependent children, identified by the Urban Local Bodies Department, Haryana under "Pradhan Mantri Aawaas Yojana-Housing for All" programme shall be granted preference in allotment. First priority shall be given to the identified beneficiaries of the said town followed by other PMAY beneficiaries of the State of Haryana. Thereafter, for the remaining flats, persons which include their spouses of dependent children who do not own any flat/ plot in any HUDA developed colony/ sector or any licenced colony in any of the Urban Areas in Haryana, UT of Chandigarh and NCT Delhi shall be given next preference in allotment of flats.
3. An applicant can make only one application. Any successful applicant under this policy shall not be Eligible for allotment of other flat under this policy in any other colony. In case, he/ she is successful in more than one colony, he/she will have retaining only one flat.

Allotment Criteria
1. The allotment of apartments shall be done through draw of lots in the presence of a committee consisting of Deputy Commissioner or his representative (at least of the cadre of Haryana Civil Services), Senior Town Planner (Circle office), DTP of the concerned district and the representative of coloniser concerned.
2. After fixation of date for draw of lots, an advertisement shall be issued by the Developer informing the applicants about the details regarding date/ time and venue of the draw of lots in the same newspapers in which the original advertisement was issued.
3. For detailed criteria and time-frame to be adopted for scrutiny and allotment, the applicants may also refer to the details in the Affordable Housing Policy 2013 notified vide no. PF-27/48921 date and amendment thereof (available at the department website,i.e.,tcpharyana.gov.in).

706170-0000 INFO@SUNCITYPROJECTS.COM SUNCITYAVENUE76.COM

Home loan approved by All Leading Banks

Corp. Office : Suncity Business Tower, 218-224, Second Floor, Golf Course Road, Sector-54, Gurugram -122002, Haryana, Ph. : 0124-4691000 Fax : 0124-4691010
Regd. Office: LGF-10, Vasant Square, Plot-A, Sec-B, Pocket-V, Community Centre, Vasant Kunj, New Delhi-110070 (India) CIN : U45201DL1996PTC083915

Disclaimer: Promoter urges every applicant to inspect the project site and shall not merely rely upon or to be influenced by any architectural impression, plan or sales brochure and therefore, requested to make personal judgement prior to submitting an application for allotment . The images shown here are indicative of design and for illustration purposes only. Further, the actual design may vary in fit and finished from the one displayed above. Project details/ specifications can also be accessed at the office of Haryana Real Estate Regulatory Authority website http://haryanarera.gov.in/: Journey time shown, if any , is based upon google maps which may vary as per traffic at relevant point of time. * Rate mentioned above does not include GST and other statutory charges, if applicable . T & C Apply. 1 sq.mt. 10.7639 sq. ft. ** The subsidy offers as per the eligibility of the client's profile and the loan amount. This is the max amount of subsidy that a client can receive and the same goes with the loan amount too for availing the subsidy. Please note that the loan can be sanctioned more than 12 lacs but subsidy can be availed only till 12 lacs of loan amount.

SHRIRAM City
MONEY WHEN YOU NEED IT MOST

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत

श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड
प्रधान कार्यालय: लेवल 3, ईस्ट विंग, वॉकहार्ट टॉवर, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई-400051, पंजीकृत कार्यालय: 123, अंगप्पा नाइकेन स्ट्रीट, चेन्नई-600001, शाखा कार्यालय: एल1/एल2, दूसरी मंजिल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, गुरुद्वारा रोड, एसबीआई के ऊपर, नई दिल्ली-110016
ईमेल: vishal.mehta@shriramcity.com
वेबसाइट: www.shriramcity.in,
CIN No: L65191TN1986PLC012840

अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड (SCUFL) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के तहत, कथित अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत उसकी सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के सहपठित नियम 3 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित अधिनियम की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किये हैं, जिसमें निम्नलिखित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)/(कथित "कर्जदार(रों)/गारंटर(रों)") को उन्हें जारी किये गये निम्नलिखित डिमांड नोटिस(सों) में उल्लिखित संबंधित देय राशि का भुगतान करने की मांग की गई है, जिनके विवरण नीचे दिये गये हैं। उपरोक्त के संबंध में, एतद्द्वारा एक बार फिर कथित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) को SCUFL का कथित नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर, नीचे इंगित देय राशि के साथ नीचे दी गई तारीख के बाद भुगतान प्राप्त होने की तारीख/पूरी राशि प्राप्त होने तक उसके आगे लागू ब्याज़ के साथ भुगतान करने के लिये नोटिस दिया जाता है, जो कि ऋण अनुबंध सहित अन्य दस्तावेज़ों और लिखित के अनुसार देय है, यदि कोई है तो, जिसे कथित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) द्वारा ऋण के भुगतान के लिये उसकी प्रतिभूति के रूप में निष्पादित किया है, निम्नलिखित सम्पत्तियां क्रमशः कथित कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) द्वारा SCUFL के पास बंधक रखी गई है।

कर्जदार/सह-कर्जदार और गारंटर के नाम	आरक्षित संपत्ति के विवरण (अचल संपत्ति)			
1. मैसर्स कृष्ण इंटरनेशनल (कर्जदार) बी-80, चाणक्य प्लेस पार्ट-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 2. कृष्ण लाल (सह-कर्जदार/गारंटर) बी-80, चाणक्य प्लेस पार्ट-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059 3. दर्शन स्वामी (सह-कर्जदार/गारंटर) बी-80, चाणक्य प्लेस पार्ट-1, उत्तम नगर, नई दिल्ली-110059	संपत्ति क्रमांक 80 परिमाप खसरा नंबर 15/11 की 200 वर्ग गज में से 100 वर्ग गज ग्राम असालतपुर खादर, चाणक्य प्लेस, ब्लॉक-बी, पार्ट-1, पंखा रोड, नई दिल्ली-110059 में स्थित है।			
	चौहद्दी	दिशा	मूल्यांकक	दस्तावेज़ों के अनुसार
		उत्तर	उसी भूखंड का हिस्सा	संपत्ति नंबर बी-80 का बाकी हिस्सा प्लॉट नंबर 81 के साथ सटा हुआ
		दक्षिण	79 ए	संपत्ति नंबर 79
		पूर्व	सड़क	36 फुट चौड़ी सड़क
		पश्चिम	सर्विस लेन	20 फुट चौड़ी सड़
	डिमांड नोटिस की राशि और तारीख			
	दिनांक 7 फरवरी 2020 तक रु. 1,22,17,180/-(केवल एक करोड़ बाईस लाख सत्रह हजार एक सौ अस्सी रुपये) एनपीए की तारीख: 3 जून 2019 डिमांड नोटिस की तारीख: 24.02.2020 ऋण अनुबंध क्रमांक: RSSDLTF1811150004			

यदि कथित कर्जदार/गारंटर SCUFL का भुगतान करने में विफल हो जाते हैं, जैसा कि पूर्वोक्त में उल्लेख किया गया है, उपरोक्त आरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ अधिनियम और लागू नियमों की धारा 13(4) के तहत पूरी तरह से कथित कर्जदारों/गारंटरों के जोखिम, लागतों और परिणामों पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। कथित कर्जदारों/गारंटरों को पूरी तरह से अधिनियम के तहत SCUFL की अग्रिम लिखित अनुमति के बिना संपत्ति को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है, चाहे वह बिक्री के माध्यम से हो, पट्टे या अन्यथा किसी भी तरह से हो। कोई भी व्यक्ति जो कथित अधिनियम या नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या इसके तहत बनाए गए नियमों की अवहेलना करता है, वह अधिनियम में प्रदान किये अनुसार कैद और/या जुर्माने के लिए उत्तरदायी होगा।

हस्ता./-, अधिकृत अधिकारी,
स्थान: अजमेर, दिनांक: 26.02.2020 श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड

फॉर्म जी
अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण
(इन्सॉल्वेंसी एंड बैंगक्रप्सी (कारपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवालिया संकल्प प्रक्रिया) नियमावली, 2016 के नियम 36ए(1) के तहत)

संबंधित विवरण		
1.	कारपोरेट देनदार का नाम	सेबर पेपर्स लिमिटेड
2.	कारपोरेट देनदार के निगमन की तिथि	13.10.2007
3.	प्राधिकरण जिसके तहत कारपोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	कंपनी पंजीयक (चंडीगढ़)
4.	कारपोरेट देनदार की कारपोरेट पहचान संख्या/ सीमित देयता पहचान संख्या	U21012PB2007PLC031416
5.	कारपोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय और प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालय: वी.पी.ओ. जुगियाना, जी.टी. रोड, लुधियाना, पंजाब-141011 संस्थान: गांव गौंसपुर, निकट गुरुद्वारा भोरा साहिब, हदबस्त नं. 131, हेमब्रन रोड, हेमब्रन रोड टू लधोवाल रोड, लुधियाना, पंजाब-141008
6.	कारपोरेट देनदार का दिवालियापन शुरू होने की तिथि	18.09.2019
7.	अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण तिथि	28.02.2020
8.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत संकल्प आवेदन के लिए पात्रता उपलब्ध है:	विस्तृत ईओआई और ईओआई फॉर्म https://saberpaperscirp.wordpress.com/ पर उपलब्ध हैं।
9.	धारा 29ए के तहत लागू अपात्रता के नियम उपलब्ध हैं:	विस्तृत ईओआई और ईओआई फॉर्म https://saberpaperscirp.wordpress.com/ पर उपलब्ध है।
10	अभिरुचि की अभिव्यक्ति प्राप्ति की अंतिम तिथि	14.03.2020
11	संभावी संकल्प आवेदन की अनंतिम सूची के	24.03.2020

बिज़नेस स्टैंडर्ड
दिल्ली संस्करण

कॉर्पोरेशन बैंक
सार्वजनिक क्षेत्र का अग्रणी बैंक

हरियाणा – झज्ज़र शाखा (कोड 1104), 1, कौशिक मार्केट, कोसली रोड, ओल्ड तहसील रोड के पास, झज्ज़र, हरियाणा-124103
फोन नं. 01251-27933353, ईमेल : cb1104@corpbank.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु)

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम 2002 (2002 का नं. 54) के प्रवर्तन के अधीन **कॉर्पोरेशन बैंक**, का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के साथ पठित धारा 13(12) के नियम 3 के अधीन प्रदत शक्तियो के अंतर्गत निम्नलिखित **कर्जदारों को निम्नांकित दिनांको को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उल्लेखित राशि प्रत्येक खाते के आगे वर्णित है, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर भुगतान करने को कहा गया था।**

कर्जदार उक्त राशि का भुगतान करने मे असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा 4 उक्त नियमो के (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत **सम्पत्ति का कब्जा नीचे प्रत्येक खाते के सामने अंकित** के अनुसार लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन-देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन